

| | | |
|----------------|---|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गजेन्द्र सांखला बनाम लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) सू.अ. अपील संख्या 66 / 2024 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| 24 / 09 / 2024 | <p>अपीलार्थी गजेन्द्र सांखला निवासी सरोज डेटल, भास्कर सर्किल, रातानाड़ा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2024 में पत्र क्रमांक 11364 दिनांक 12.06.2007 में प्राप्त पत्र की प्रमाणित प्रति एवं पत्र पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये राजकाज रेफ. 9949294 दिनांक 22.08.2024 से बतलाया कि राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पत्र दिनांक 12.06.2007 पर तत्समय की गयी कार्यवाही के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध राजस्व शाखा की पत्रावलियों एवं राजस्व जमा रिकार्ड में उक्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की पत्रावली नहीं पायी गयी, जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्रांक 2051 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रेषित की गई।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचन लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर</p> | |